62

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

1– गोबरीलाल पुत्र स्व. श्री मंगला जाटव
2– मुन्नालाल पुत्र स्व. श्री मंगला जाटव
3– रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री मंगला जाटव
4– श्रीमती तिजोबाई पत्नी श्री मंगला जाटव
निवासीगण–चन्द्रपुरा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)
2– हजारी पुत्र श्री कवरलाल जाटव
3– रामरतन पुत्र श्री कवरलाल जाटव
निवासीगण – कौसलपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 87/2010–11/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला श्योपुर का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदकगण द्वारा तहसील श्योपुर के समक्ष संहिता की धारा 185, 169, 190 सहपठित धारा 110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी थी। कि ग्राम अजापुरा में स्थित भूमि सर्व क्रमांक 309 रकवा 5 बीघा 9 विस्वा अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा संहिता की धारा 168 (2) के प्रावधानो के विपरीत नगद मुआवजा प्राप्त कर 3 वर्ष के लिये मौके पट्टे पर जुटाई थी। उसी वक्त मौके पर कब्जा सौपा था तब से आवेदकगण का बादग्रस्त भूमि पर कब्जा निरन्तर चला आ रहा है और उसे संहिता की धारा 169 के तहत् मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिसके आधार विधिवत् विचार करने के पश्चात् तहसीलदार श्योपुर द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2000

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर.

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2322–एक/16 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
14–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 87/2010–11/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.06.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	